


विशेष विवरण

यायालय

नंख्या

०/२५ १२

ख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	२५/२५	<p>पञ्चरत्नी प्रभुत/वकील प्रवी उप. अग्रणी २ ता 10 अनुपस्थित है मत: उनके विवाद एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है अग्रणी-1 ने जवाब पेश नहीं किया है मत: जवाब का क्वॉरॉर बैंड किया जाता है। पञ्चरत्नी वाले बचत दिनांक २५/२५ को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर आमेर मुजयपुर</p>	
	२५/२५	<p>पञ्चरत्नी प्रभुत/व. प्र. उप. अरुण उपपुत्र सुनी गर्द। अग्रणी ने निवेदन किया कि मूलवादा प्रत्यक्ष डिफेंड किया जा चुका है अतः अग्रणीगण बिना विधिक विभाग के अग्रणी को खेचल करवा चाले है मत: अग्रणीगण को पाबंद किया जाये। अग्रणीगण को अर्पण की प्रभुत 6 तर्क, प्रस्तावों का इवलोकन किया गया। चूँकि वाद बंधारे का है बिना विधिक विभाग के फाई द्वारा की सुई-सुई एवं धेचान की जाती है तो अग्रणी को अपूर्णोपस्थित हो सकती है मत: वाद खटुल्यता को रोकने हेतु उपपुत्र को मूलवादा के निस्तारण तक (अर्पण) इस्त्यार निषेधात से पाबंद किया जाता है कि वे उनके ग्राहक अर्थात् मय दौलतपुरा पटवा हल्का नावल सिरस मू. त. खोराबीसल तहमील राहपुरा रावरी जपट्ट के खंम. - 640, 641, 642, 643, कुल कित्ता 4 कुल रकबा २.७४ हेक्टेयर में मौजे की प्रयासगत कापे रखे। एक प्रसेर के हिस्से कषिग करत या इस्त्येपु नही करे। कृषि शक्ति को अकृषि में उपयोग नही करे। उन्न स्वगत सरकारी प्रोग्रामों के लाभ लेने पर लागू नहीं होगा। पञ्चरत्नी फैसल सुनल होका बाकिन क्वॉरॉर हो।</p> <p>सहायक कलक्टर आमेर मुजयपुर</p>	

सहायक कलक्टर
आमेर मुजयपुर